न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर, जिला जोधपु

मांक : कोर्ट/रास्ता/2017/ 6083 दिनांक : 21(8)

प्रकरण सं. 1281/17 ''आदेश''

तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के द्वारा रा.भू.रा. अधिनियम 1956 की धारा 131,132
6 के अधीन प्रा. पत्र प्रस्तुत कर ग्राम **बुचकलां** तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर के **खसरा न**
3, 357, 361, 341, 362, 356 राजकीय/निजि भूमि किस्म बारानी प्रथम में से **1.11 बी**
के पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग आ रही भूमि की किस्म गै. मु. रास्ता घोषित कर न
द्धि एवं राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु निवेदन किया।

प्रा. पत्र के सम्बंध में पटवारी **बुचकलां** व भू. अ. निरीक्षक **बुचकलां** की रिपोर्ट एवं सं
र्ड की प्रमाणित प्रति के आधार पर ग्राम **बुचकलां** तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर केख
बर 343, 357, 361, 341, 362, 356 राजकीय/निजि भूमि किस्म बारानी प्रथम में विद
दीमी रास्ते के सम्बंध में से परिशिष्ट **क** के अनुरूप **1.11** बीघा/बिस्वा भूमि की किस्म गै. मु.
किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः रा.भू.रा. अधिनियम 1956 धारा 131, 136 व रा.भू.अ. 1957 के नियम 60(एच) के
सीलदार **पीपाड शहर** का प्रा. पत्र स्वीकार कर ग्राम **बुचकलां** तहसील पीपाड शहर जिला ज
खसरा नम्बर 343 में से 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 357 में से 0.08 बीघा, खसरा नम्बर
से 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 341 में से 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 362 में से 0.04
सरा नम्बर 356 में से 0.05 बीघा किस्म गै. मु. रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा(लट्टा)
स्ती एवं राजस्व रेकर्ड में अमल करने के आदेश तहसीलदार पीपाड शहर को दिये जाते है।
शिष्ट **क** के रा. रेकर्ड में उक्त खसरा की किस्म गै. मु. रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमी
र्यवाही कर पालना रिपोर्ट एक माह में पेश करें।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर
दिनांक : 21.8.2017

ंक : सम/2017/ 6084-85
लिपि :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) जोधपुर की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालनार्थ।
3. भू. अ. निरीक्षक .... को पालनार्थ।
4. पटवारी हल्का .... को रा. रेकर्ड में अमलदरामद व नक्शे में तर कार्यवही हेतु।

(रिछपाल सिंह बुरड़क
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर